A15
7

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 28/15

बनवारी लाल पुत्र श्री हजारीराम जाति कुम्हार निवासी कालवासिया तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. महेन्द्रपाल पुत्र श्योलाल जाति कुम्हार जाति कालवासिया तहसील सादुलशहर
2. कृष्ण लाल पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी कालवासिया तह0 सादुलशहर
3. ग्राम पंचायत बहरामपुराबोदला जरिये सरपंच/सचिव

अप्रार्थीगण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 1– 2

आदेश दिनांकः 27–6–16

प्रस्तुत निगरानी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली द्वारा ग्राम आबादी में भूखण्ड सं0 88 साईज 1250 दरगज का ठाकर राम पुत्र मेघाराम को दिनांक 1–1–56 को आवंटित किया गया था जिसका अमल दरामद खसरा रजिस्टर में कर दिया गया था। आवंटी ठाकर राम ने जरिये पंजीबद्व वसीयत के उक्त भूखण्ड अपने पुत्र सही राम को मुंतकिल कर दियागया। सही राम की मृत्यू के उपरांत उक्त भूखण्ड इन्द्राज पुत्र सही राम को बंटवारा में प्राप्त हुआ था। इन्द्राज द्वारा उक्त भूखण्ड मिठुसिंह पुत्र जंगीरसिंह को जरिये बैयनामा दिनांक 5–6–96 को विक्रय किया गया है। मिठूसिंह द्वारा उक्त भूखण्ड को निगरानीकर्ता बनवारी लाल को दिनांक 2–11–98 को विक्रय किया गया । विक्रय की रोज से निगरानीकर्ता शंतिपूर्वक परिवार सहित काबिज है। दिनांक 14–8–15 को मकान की मरम्मत कराने लगा तो अप्रार्थीगण ने मरम्मत करवाने से रोका। पंचायत रेकार्ड का देखने पर पता चला कि पुराने आबादी के नक्शों के सामने भूखण्ड सं0 88 के सामने भूखण्ड सं0 बी/46 काट दिया। नक्शा किसी भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं है। नक्शा स्वीकृत करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई। भूखण्ड सं0 88–89–92 के सामने चालू सड़क है। निगरानीधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार के, बिना कानूनी प्रकिया पालन किये पारित किया गया है। इस प्रकार, निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन भूखण्ड सं0 बी/46साईज 75 गुणा 60 फुट का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निगरानी से संबंधित रेकार्ड एवं मौका की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त की गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने दिनांक 22–6–16 को निगरानी में नोट प्रैस कर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इस पर कोई बहस नहीं की।

जहाँ तक प्रकरण में गुणदोष का प्रश्न है, पत्रावली एवं प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा विकास अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रेषित की गई है। रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला के राजस्व ग्राम बहरामपुरा बोदला में अहाता सं0 88 वर्ष 1959 में ठाकर पुत्र पेमाराम को आवंटन किया गया था। वर्तमान में यह अहाता पुरानी आबादी में है। वर्ष 1974 में बी/46 प्लाट देवी लाल को आवंटन किया गया था जो कि ग्राम पंचायत की नई आबादी में स्थित है। पूर्व में दोनों प्लाट एक ही परिवार में पिता व पुत्र के नाम से नई आबादी में स्थित है। दोनों प्लाट अलग–2 बिकी हुए हैं। खसरा नं0 88 में आने जाने हेतु खसरा नं0 बी/46 में होता रहा है। खसरा नं0 88 में पानी कनेक्शन व विद्युत कनेक्शन भी बी/46 में से है। मौके पर बी/46 में करीब 3,1/2 फीट उँची चारदिवारी बना कर रास्ता बंद कर दिया है।रेकार्ड न्यायालय में होने के कारण पुष्टि नहीं की जा सकती है। मौके पर दलीपकुमार व रामेश्वर लाल द्वारा अपने बयानों में खसरा नं0 88 में दक्षिण की तरफ रास्ता बताया है। रामेश्वर लाल द्वारा खरीद कह गई जगह के कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये हैं।

तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक 620 दिनांक 27–4–16 द्वारा दोनों पक्षों के मध्य हुए राजीनामा की प्रति प्रेषित की है। राजीनामा अनुसार प्रथम पक्ष निगरानीकर्ता ने अपने रिहायशी भूखण्ड मेंसे पश्चिमी दक्षिणी साईड में 475 फुट जगह अप्रार्थी द्वितीय पक्षकार को देकर द्वितीय पक्षकार से उसके भूखण्ड सं. बी/46 में से उतरी साईड में प्रथम पक्षकार निगरानीकर्ता को अपने अहाता से बाहर निकलने के लिए गली साईज 12 गुणा 60 फुट कुल 720 वर्गफुट जगह गली के लिए दे दी है। दोनों पक्षकारान ने अपने–2 भूखण्ड में से एक दूसरे को दी गई जगह का कब्जा करवा दिया है। दोनों पक्षों का अब कोई विवाद नहीं रहा है। दोनों पक्षों में चल रही मुकदमें बाजी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। राजीनामा से दोनों पक्ष पूर्ण रूप से सहमत हैं एवं प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

निगरानीकृत भूखण्ड बी/46 जो वर्ष 1974 में देवी लाल को आवंटित हुआ था, को निगरानी के माध्सम से निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

वर्ष 1974 में आवंटित भूखण्ड जो बाद में गैरनिगरानीकर्ता द्वारा खरीद किया गया है, को निरस्त कराने के लिए निगरानी दिनांक 20–8–15 को 41 वर्ष बाद पेश की गई है, जो अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा आपने न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित किया है कि :–

न्यायिक दृष्टान्त आर एल डब्ल्यू 1999(3) राज0 पेज 1391 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि " राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953, धारा 27 सपठित धारा 17–क, राजस्थान पंचायत नियम एवं भारत का संविधान, अनुच्छेद 227– निलामी द्वारा भूमि का आवंटन – अपील नहीं की गई – छः वर्ष के विलम्ब के अन्तराल के पश्चात् पुनरीक्षण याचिका पेश – पुनरीक्षण हेतु परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं – अभिनिर्धारित – जहाँ

जिला कलक्टर (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है पर छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब है जो स्वंय में अस्पष्ट है "।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन आदेश 1974 के खिलाफ दिनांक 20–08–15 को 41 वर्ष बाद भारी विलम्ब से पेश की गई है, जिसका कारण निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्ययायालय द्वारा छः वर्ष की अवधि का अंतराल बहुत भारी विलम्ब होना माना है। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जहॉ पर परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं हो तो उस मामले में युक्तिसंगत समय अवधि में याचिका प्रस्तुत होनी चाहिये – युक्तिसंगत समय की अवधि प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करेगी – जो एक अथवा दो वर्ष तक हो सकती है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी 41 वर्ष बाद भारी विलम्ब के साथ पेश की गई है इतने भारी विलम्ब के बाद निगरानीकृत पट्टे को निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी दायर करने में हुए विलम्ब को युक्तिसंगत न मानते हुए निगरानी मियाद बाहर शुमार की जाती है।

फलस्वरूप, पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने, निगरानी में कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं निगरानी मियाद बाहर होने से, निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 27–6–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/16

(कर्णसिंह गोदवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner